

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229727 CG-DL-E-16092021-229727

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3491]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 16, 2021/भाद्र 25, 1943

No. 3491]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2021/BHADRA 25, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2021

सं. 27 / 2015-2020

विषयः—आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 27 की नीतिगत शर्त सं. 5 में संशोधन।

का.आ. 3803(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015—20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 27 की नीतिगत शर्त सं. 5 को निम्नानुसार संशोधित करती है:

मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
आयात, विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 के अधीन आईओसी के माध्यम से अनुमत है सिवाए उन कंपनियों के जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संकल्प सं. पी–23015/1/2001	आयात, विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 के अधीन आईओसी के माध्यम से अनुमत है सिवाए उन कंपनियों के जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संकल्प संख्या पी—23015/1/2001—एमकेटी दिनांक 08.03.2002 के अनुसार ऐसे उत्पादों के लिए परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए

एमकेटी दिनांक 8.3.2002 के अनुसार परिवहन ईंधनों के विपणन हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनमें एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईबीपी शामिल हैं जो इस तिथि से पूर्व परिवहन ईंधनों का विपणन करती रही है। अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनमें मानक आईएस 2796 (आईटीसी एचएस कोड 27101241) के अनुरूप गैसोलीन और मानक आईएस 1460 (आईटीसी एचएस कोड 27101944) के अनुरूप बायोडीजल रहित ऑटोमोटिव डीजल ईंधन शामिल नहीं है जिनका कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संकल्प सं. पी–12029 (11)/2/2018—ओएमसी—पीएनजी दिनांक 08.11.2019 के अनुसार आयात किए जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

अधिसूचना का प्रभावः सरकार के संकल्प सं. पी–12029 (11)/2/2018—ओएमसी–पीएनजी दिनांक 08.11.2019 के अनुसार आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 27 की नीतिगत शर्त सं. 5 को संशोधित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/93/180/03/एएम-10/पीसी-2(क)/ई-1426] अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2021

No. 27 /2015-2020

Subject:—Amendment of policy condition no. 5 of Chapter 27 of ITC (HS), 2017, Schedule - I (Import Policy).

S.O. 3803(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends policy condition no.5 of Chapter 27 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy) as under:

Existing Policy Condition

Import allowed through IOC subject to para 2.20 of Foreign Trade Policy, except for the companies who have been granted rights for marketing of transportation fuels in terms of Ministry of P and NGs Resolution No. P23015/1/2001-MKT.Dated 8.3.2002 including HPCL, BPCL and IBP who have been marketing transportation fuels before this date.

Revised Policy Condition

Import allowed through IOC subject to para 2.20 of Foreign Trade Policy, except for the companies who have been granted rights for marketing of transportation fuels in terms of MoP&NG Resolution No. P-23015/1/2001-MKT dated 08.03.2002 for products excluding gasoline conforming to standard IS 2796 (ITC HS Code: 27101241) and Automotive diesel fuel, not containing biodiesel, conforming to standard IS 1460 (ITC HS Code 27101944) which would be allowed to be imported by entities in terms of MoPNG Resolution No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dated 08.11.2019".



2. Effect of the Notification: Policy condition no.5 of Chapter 27 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy) amended in terms of Government Resolution No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dated 08.11.2019.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/93/180/03/AM-10/PC-2[A]/e-1426]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade

& Ex- officio Addl. Secy.